रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2016/वैशाख 30, 1938
No. 155] NEW DELHI FRIDAY, MAY 20, 2016/VAISAKHA 30 , 1938

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2016

एच-22011/2/2014-एसडीई.—भारत सरकार की कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदण्ड संबंधित अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-I,दिनांक 15-07-2015 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से इस प्रयोजन के लिए गठित सामान्य मानदण्ड समिति ने अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-I, दिनांक 15-07-2015 की अनुसूची I और II में निम्नलिखित संशोधन किया है, नामत:—

1. (i) इन संशोधनों को कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदण्ड 2016 ,की अनुसूचियों में प्रथम संशोधन कहा जाएगा।

संशोधन:

(1) निम्नलिखित उप-खण्ड 1.2, अनुसूची- I के खण्ड 1 में जोडा जाएगा,नामत:

1.2 01.04.2016 से विभिन्न सेक्टरों की आधार लागत, अनुसूची- I के खण्ड 1.1 में उल्लिखित राशि का 5 % बढ गई है, जिसे अगले 10 पैसे में पूर्णांकित कर दिया गया है।

(2) अनुबंध- I की अनुसूची- I के खण्ड 2.1 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

2.1 अनुसूची “टी” के खण्ड 5.1 में यथा विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए, जो ऐसे विशेष क्षेत्र से बाहर के जिले में प्रशिक्षण ले रहा है, को आने-जाने के लिए वास्तविक परिवहन व्यय, जो प्रति प्रशिक्षार्थी अधिकतम 5000 रू. होता है, का भुगतान किया जाए।

(3) अनुबंध-I की अनुसूची- I के खण्ड 2.1 के बाद के पैरा को खण्ड 3 की पुनर्संख्या दी जाती है तथा खण्ड 3 की पुनर्संख्या के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

3 मंत्रालय प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिदिन भोजन और आवास व्यय की अधिकतम प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सारणी के अनुसार करेगा:

i.	एक्स श्रेणी के शहरों/ नगरों हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी	300 रूपये
ii.	वाई श्रेणी के शहरों/ नगरों हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी	250 रूपये
iii.	जेड श्रेणी के शहरों/ नगरों हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी	200 रूपये
iv.	ग्रामीण क्षेत्रों तथा कोई क्षेत्र, जो नगर पालिका/नगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित न हो	175 रूपये

(शहरों की श्रेणी संबंधी सूची अनुसूची-III में दी गई है)

(4) अनुबंध-I की अनुसूची- I के खण्ड 5.2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापना की जाएगी : 5.2 गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा होने तथा प्रमाणित होने के बाद, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के सभी व्यक्ति, नि:शक्तजन तथा महिला उम्मीदवारों (आगे से इन्हें " विशेष समूह " कहा गया है) को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने-जाने पर किए जाने वाले परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित दर से की जाएगी :

प्रतिमाह परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति	राशि (में .रू)
1) आवासीय जिले के भीतर प्रशिक्षण केंद्र हेतु	1000/-
2) आवासीय जिले से बाहर स्थित प्रशिक्षण केंद्र हेतु	1500/-

(5) अनुबंध-I की अनुसूची-I के खण्ड 5.3 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापना की जाएगी :

5.3 **सवेतन रोजगार हेतु विशेष क्षेत्रों /समूहों के लिए** तैनाती उपरान्त सहायता : **विशेष क्षेत्रों/समूहों** से सबंध रखने वाले नवकुशल व्यक्तियों को **सवेतन रोजगार के तहत** अपनी जॉबों/ व्यवसायों में स्थापित होने हेतु समर्थ बनाने के लिए, उम्मीदवार को निम्नलिखित अवधियों के लिए प्रतिमाह 1500 रू. की दर से तैनाती उपरांत सहायता प्रत्यक्ष रूप से दी जाएगी :

प्रतिमाह 1500 रू. की दर से तैनाती उपरांत सहायता	पुरूष	महिला
1 आवासीय जिले के भीतर तैनाती	माह 1	माह 2
2 आवासीय जिले के बाहर तैनाती	माह 2	माह 3

बशर्ते कि तैनाती प्रमाणन के तीन महीने के भीतर की गई हो तथा उम्मीदवार की तैनाती मान्यता उपरान्त हुई हो।

(6) अनुबंध-1 की अनुसूची- IV के खण्ड 1 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापना की जाएगी :

1.1 निधि परियोजना के अनुसार बैच-वार जारी की जाएगी । संबंधित स्कीम के दिशा-निर्देशानुसार समझौता ज्ञापन । प्रशिक्षण प्रदाताओं को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार निधि जारी की जाएगी :

किश्त	कुल लागत का प्रतिशत	उत्पादन मानक
प्रथम	30%	विधिमान्य उम्मीदवारों के संबंध में प्रशिक्षण बैच के आरंभ के समय
द्वितीय	50%	प्रशिक्षार्थियों के सफल प्रमाणन पर
तृतीय	20%	निम्नलिखित परिणाम आधारित तैनाती पर

1.2 उपर्युक्त भुगतान निमनलिखित शर्तों के आधार पर किया जाएगा :

(i) यह केवल नए सिरे से प्रशिक्षण पर लागू होगा।

(ii) 50 % की दूसरी किश्त की गणना वास्तविक प्रमाणित उम्मीदवारों के कुल 80 % संचयी भुगतान के आधार पर की जाएगी।

(iii) प्रशिक्षण अघूरा छोड़ने वाले उम्मीदवारों को दूसरी व तीसरी किश्त देय नहीं होगी। प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने वालों की गई पहली किश्त का भुगतान अगली किश्त में समयोजित की जाएगी।

(7) अनुबंध-1 की अनुसूची- IV के खण्ड 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापना की जाएगी :

2. परिणाम से जुडी 20 % की प्रशिक्षण लागत (तीसरी किश्त) प्रशिक्षण प्रदाताओं को निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाएगी :

(i) प्रशिक्षण प्रदाता, अनुबंध-I के पैरा 4.1 (i), (ii) तथा (iii), 4.2 तथा 4.3 के तहत परिणाम आधारित उपलब्धि पर 100 % भुगतान के लिए अर्हक होगा ।

(ii) प्रशिक्षण प्रदाता को, नए भर्ती के मामले में, प्रशिक्षण पूरा होने के तीन महीने के भीतर वेतन आधारित रोजगार के लिए प्रमाणित न्यूनतम 50% प्रशिक्षार्थियों में से 50-69 % तैनाती उपलब्धि प्राप्त होने पर, यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा ।

(8) अनुबंध-1 की अनुसूची- IV के खण्ड 2 (IV) को निरस्त किया जाएगा ।

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2016

H-22011/2/2014-SDE- In exercise of the powers conferred by Clause 4 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dt. 15.07.2015 concerning Common Norms for Skill Development Schemes of the Government of India, the Common Norms Committee constituted for the purpose has made the following amendments to the Schedule I and II of Annexure I of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dt. 15.07.2015 namely:-

1. These amendments may be called the first Amendment to Schedules of the Common Norms for Skill Development Schemes,2016

Amendments:

(1) The following sub-clause 1.2 is added to Clause 1 of SCHEDULE-I, namely:-

1.2 With effect from 01.04.2016, the Base cost for different Sectors is increased at 5%, rounded off to the next 10 paisa, of the amounts mentioned in Clause 1.1 of SCHEDULE-I.

(2) For Clause 2.1 of SCHEDULE-I of Annexure-I, the following shall be substituted:

2.1 For candidates from Special Areas, as defined in Clause 5.1 of Schedule I", undergoing training outside district of such Special Areas, to and fro transport cost as per actuals, subject to a maximum of Rs. 5000/- per trainee, ***may*** be payable.

(3) The Paragraph below Clause 2.1 of SCHEDULE-I of Annexure-I is re-numbered as Clause 3 and the following shall be substituted to the re-numbered Clause 3:

3. Ministries will reimburse Boarding & Lodging Costs **up to a** maximum per trainee per day as per table below:

i. X Category Cities/Town per day per Trainee	Rs.300/-
ii. Y Category Cities/Town per day per Trainee	Rs.250/-
iii. Z Category Cities/Towns per day per Trainee	Rs.200/-
iv. Rural Areas and any Area not notified as a municipal/town area	Rs.175/-

(The list of categories of cities is given at SCHEDULE-III)

(4) For Clause 5.2 of SCHEDULE-I of Annexure-I , the following shall be substituted:

5.2 Upon successful completion of non-residential skill training programmes, and after certification, all **Persons Below Poverty Line (BPL), persons with disability and women candidates (hereinafter referred to as "Special Groups")** will be reimbursed the cost incurred in travelling to and from the training centre at the following rates:

Reimbursement of Conveyance Costs per month	Amount (in Rs.)
1) Training Centre within District of domicile	1000/-
2) Training Centre outside District of domicile	1500/-

(5)

For Clause 5.3 of SCHEDULE- I of Annexure-I , the following shall be substituted:

5.3 Post Placement Support **for Special Areas/Groups for wage employment**: In order to enable the newly skilled persons from **Special Areas/Groups** to settle into their jobs/vocations **under wage employment**, post placement support would be provided directly to the candidate at the rate of Rs. 1500/- per month for the following durations:

Post Placement Support @ Rs. 1500/- per month	Men	Women
1) Placement within District of domicile	1 month	2 months
2) Placement outside District of domicile	2 months	3 months

provided the placement is made within three months of certification and after post validation of placement of the candidate.

(6) For Clause 1 of SCHEDULE-IV of Annexure-I, the following shall be substituted:

1.1 The release of funds could be batch wise or as per project MoU as per the guidelines of scheme in question. The funds should be released to the Training Providers as per the following schedule:

Instalment	Percentage of Total Cost	Output Parameters
1st	30%	On commencement of Training Batch against validated candidates
2nd	50%	On successful certification of the trainees
3rd	20%	Outcomes based on Placements as under

1.2 The above payment schedule is subject to the following:

(i) It is applicable only for fresh training.

(ii) The second tranche of 50 % will be calculated on the basis of total cumulative 80% payment for candidates actually certified.

(iii) The dropouts will not be considered for 2nd and 3rd tranche. The 1st tranche payment of the dropouts is adjusted in next tranche.

(7) For Clause 2 of SCHEDULE-IV of Annexure-I, the following shall be substituted:

2. The 20% of training cost which linked to outcome (3rd instalment) would be released to the Training Provider subject to the following:

(i) Training Provider shall be eligible for 100% payment on for outcome achievement under para 4.1 (i), (ii) and (iii), 4.2 and 4.3 of Annexure-1.

(ii) Training Provider will be paid on pro rata basis on achievement of 50-69% placement of those who have been certified with at least 50% minimum wage employment of the certified trainees within three months of completion of training in case of fresh entrants.

(8) The Clause 2 (iv) of SCHEDULE-IV of Annexure-I shall be deleted.

RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.